कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– .... दिनांकः– ....

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं
मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची।

विषय :– **JIO Reliance infocom Ltd द्वारा लातेहार जिला अंतर्गत छिपादोहर–महुआटांड़–गारू–विजयपुर रोड़ के किनारे Optical fiber cable बिछाने हेतु कुल 2.4447 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक 353 दिनांक 15.02.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं0 FP/JH/OFC/47925/2020 की पांच–पांच प्रतियां Hard Copy एवं Online इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित कमियां/त्रुटियां पाई गई हैः–

1. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का Legal Status स्पष्ट नहीं है। पार्ट–II के कॉलम में प्रमंडलवार Legal Status अंकित किया जाये ।
2. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि को दर्शाते हुये 1:50000 स्केल का टोपोशीट संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ FRA 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
4. दोनों वन प्रमंडल से प्राप्त प्रस्ताव पर पेजिग नहीं है। जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस पेज पर कौन सी अनुलग्नक (अभिलेख) है।
5. चूकि प्रस्तावित वनभूमि पलामू ब्याघ्र परियोजना, उतरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल डालटेनगंज में अवस्थित है। अतः SBWL/NBWL की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है, अथवा नहीं? यदि आवश्यक है, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?
6. उप निदेशक पलामू ब्याघ्र परियोजना, उतरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल डालटेनगंज द्वारा पार्ट–II में दर्ज प्रविष्टि पूर्ण नहीं है। उनके द्वारा दर्ज पार्ट–II में कंडिका 3 से कंडिका 13 तक का उल्लेख (व्यौरा अंकित) नहीं है।
7. चूकि प्रस्तावित वनभूमि दो वन प्रमंडल क्रमशः पलामू ब्याघ्र परियोजना, उतरी एवं दक्षिणी वन प्रमंडल डालटेनगंज से गुजरेगी अतः दोनो वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पार्ट–II में प्रविष्टि दर्ज किया जाये।
8. प्रस्ताव के साथ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज का प्रविष्टि दर्ज कर पार्ट–III संलग्न नहीं है।
9. प्रस्ताव के साथ दोनो वन प्रमंडल हेतु वृक्षों की गणना सूचि संलग्न नहीं है। इस परियोजना में कितने वृक्ष काटे जायेगे तथा कितने वृक्षों का Trimming किया जायगा।
10. भारत सरकार द्वारा General Approval के तहत दिये गये दिशा निर्देश का समय सीमा दिनांक 31.12.2020 को समाप्त हो चुकी है। चूकि प्रयोक्ता अभिकरण JIO Reliance infocom Ltd Private है। अतः CA हेतु भारत सरकार के पत्रांक F. No. 5-2/2017- दिनांक 28th March, 2019 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में प्रयोक्ता अभिकरण को CA हेतु समतुल्य गैर वनभूमि उपलब्ध कराना होगा अथवा नहीं ? यदि गैर वनभूमि उपलब्ध कराना है, तो CA हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का सभी संबंधित अभिलेखों की प्रति संलग्न की जाय।
11. पार्ट–II के कंडिका 13 में CA हेतु समतुल्य गैर वनभूमि का व्यौरा अंकित की जाय।
12. CWLW का मंतव्य अप्राप्त है।

प्रस्ताव की सभी प्रतियां मूलरूप में वापस करते हुए अनुरोध है कि पत्र में उल्लेखित उपरोक्त सभी बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

प्रस्ताव के सभी प्रतियां।

विश्वासभाजन

ह0/–

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 524 **दिनांक** 05/4/2021

प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज /उप निदेशक पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल डालटेनगंज/निदेशक पलामू ब्याघ्र परियोजना, उतरी वन प्रमंडल डालटेनगंज/JIO Reliance infocom Ltd Sandhaya Tower 3rd Floor, Purulia Road, Lalpur, Ranchi. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

5.4.21